



Admission and Fee Regulatory Committee Government of Uttar Pradesh



प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या- 4828 / प्र०फी०नि०स०/2022
लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर, 2022
कार्यालय आदेश

057 - INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION,LUCKNOW आपके डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थान हेतु समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए अनुमन्य करते हुए अधिनियम-2006 एवं विनियमावली-2015 के अनुपालन में समिति कार्यालय के, **आदेश संख्या-2877/प्र०फी०नि०स०/2022 दिनांक 23 जून, 2022** द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया।

2. उक्त आदेश दिनांक 23 जून, 2022 के बिन्दु-3 में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान को समिति की अधिकृत वेबसाइट www.afrcup2018.in पर पंजीकरण करते हुए मानक शुल्क के सम्बन्ध में अपनी आनलाईन सहमति व्यक्त करनी थी,के अनुपालन में आपके संस्थान द्वारा मानक शुल्क स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. समिति कार्यालय के आदेश संख्या-2877/प्र०फी०नि०स०/2022 दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए निर्धारित मानक शुल्क आपके संस्थान हेतु अनुमन्य किया जाता है, जो निम्नवत् है:-

निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) वर्ष 2022-23 (एक वर्ष हेतु)
01	बी०टेक०	55,000.00
02	बी०फार्मा०	63,300.00
03	बी०आर्की०	57,730.00
04	बी०एफ०ए०	85,250.00
05	बी०एफ०ए०डी०	85,250.00
06	बी०एच०एम०सी०टी०	70,000.00
07	एम०बी०ए०	59,700.00
08	एम०सी०ए०	55,000.00
09	एम०फार्मा०	68,750.00
10	एम०आर्की०	57,500.00
11	एम०टेक०	57,500.00
12	समस्त बी० वोकेशनल पाठ्यक्रमों हेतु	26,900.00
13	एम०बी०ए० इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु	25,750.00

उपरोक्त निर्धारित फीस संस्था में प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के संस्था से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने तक प्रयोज्य होगी। इस प्रकार नियत फीस में छात्रावास फीस विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा फीस एवं काशनमनी की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार की फीस सम्मिलित होगी। समिति द्वारा अभिनिश्चित उक्त फीस ही ट्यूशन फीस के रूप में मान्य होगी।

4. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब-साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्थान द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. विनियमावली-2015 के बिन्दु-10 में प्राविधानानुसार “**किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा नियत फीस से भिन्न कोई भी कैपिटेशन फीस छात्रों से नहीं लिया जायेगा।**” समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम-2006 विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या सुसंगत शासनादेशों के किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो समिति विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दी गई व्यवस्थानुसार संस्थान के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

6. उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपील प्राधिकरण के गठन आदेश संख्या-3393/सोलह-1-2009-5 (डब्लू-48)/2003 दिनांक 14.10.2009 द्वारा किया जा चुका है।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) कुलसचिव, डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- (2) उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 एवं 3, उ० प्र० शासन।
- (3) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र० कानपुर।
- (4) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० शासन।
- (5) प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग विभाग, उ० प्र० शासन।
- (6) प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ० प्र० शासन।
- (7) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, उ० प्र०।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश चन्द्रा
सचिव